23.05.25 पत्रावली पेश हुई। वकील अभ्यर्थी की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण का प्रा० पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण अप्रार्थी सं० 1 के नाम दर्ज भूमि की हद तक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.05.25
(किरण पाल)
RAS